न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास व इजलास

लहरी कुमार जैन (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 67/2016

बउनवान

रामरतन पुत्र मथुरा लाल जाति मालव धाकड निवासी सावनभादौ तहसील कनवास
(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास
(प्रतिवादी)

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 12.11.2016

वादी ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम सावनभादौ में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या नई 421 के खसरा नम्बर 1387 की रकबा 0.66 है0 आराजी स्थित है जिसके हाल सेटलमेन्ट सम्वत् 2058–2077 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 724 रकबा 4 बीघा 2 बिसवा है। सम्वत् 2058–2077 के पूर्व राजस्व रिकार्ड में मुझवादी की सही जाति मालव (धाकड) दर्ज थी तथा जमाबन्दी सम्वत् 2051–2054 एवं खाते की पास बुक में वादी की जाति मालव (धाकड) सही दर्ज थी। सेटलमेन्ट 2058 से 2077 के दौरान सेटलमेन्ट एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी की जाति मालव (धाकड) की जगह त्रुटिवश गलत तरीके से महाजन दर्ज कर दी है जबकि वादी की जाति मालव (धाकड) है, महाजन नही है। वादी को उक्त त्रुटि की जानकारी दिनांक 30.05.2016 को आवश्यक कार्य हेतु कम्प्यूटर से जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर हुई।

अतः वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास में स्थित आराजी रिकार्ड खसरा नम्बर 1387 रकबा 0.66 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति महाजन के स्थान पर दुरूस्त कर धाकड दर्ज की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। दिनांक 07.09.2016को प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी ने आंशिक रूप से दावा स्वीकार कर वादी को जाति महाजन के स्थान पर धाकड दर्ज करने में कोई आपत्ति नही होना [redacted] जवाब दावा में अंकित किया है।

दिनांकः 09.11.2016 को विद्वान अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेज नकल जमाबन्द ग्राम सावनभादौ सम्वत् 251–54 प्रस्तुत की गई जिसमें रामरतन पुत्र मथुरा लाल जाति मालव (धाकड) साकिन देह दर्ज है एवं नकल जमाबन्दी ग्राम सावनभादौ सम्वत् 2070–2073 नकल जमाबन्द सम्वत् 2058–2077 ग्राम सावनभादौ एवं रिकार्ड विक्रय विलेख का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार सेटलमेन्ट से पूर्व वादी की जाति मालव (धाकड) होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादी रामरतन पुत्र मथुरा लाल

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

जाति महाजन के स्थान पर रामरतन पुत्र मथुरा लाल जाति मालव (धाकड) किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम सावनभादौ की अभाबन्दी सम्वत् 2058–2077 में अंकित वादी का नाम रामरतन आत्मज मथुरा लाल जाति महाजन के स्थान पर रामरतन आत्मज मथुरा लाल जाति मालव (धाकड) किया जावे। उक्त अनुसार डिक्री मुर्तिब की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दामद किया जावे। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम कनवास

ब इजलास लहरी कुमार जैन **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

रामरतन पुत्र मथुरा लाल जाति धाकड निवासी सावनभादौ तहसील कनवास।

वादी :–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं 67/2016 सन 2016 तारीख फैसला 12.11.2016 न्यायालय ब इजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी महेश कुमार मालव एडवोकेट मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी स्वयं मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम सावनभादौ की जमाबंदी सम्वत् 2058–77 में अंकित वादी का नाम रामरतन आत्मज मथुरा लाल जाति महाजन के स्थान पर रामरतन आत्मज मथुरा लाल जाति मालव (धाकड) किया जावे। उक्त अनुसार डिक्री मुर्तिब की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दामद किया जावे। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2016 माह नवम्बर 2016 को जारी की गई।

मोहर .....

लहरी कुमार जैन
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया
अर्जीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....	
वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....	
वजह सबूत	....			महनताना वकील	....	
ना वकील	....	---NIL---		खर्चा गवाहान	....	---NIL---
वाहान	....			फीस कमिश्नर	....	
मिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....	
जराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....	
क	....					
मीजान	....			मीजान	....	

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

लहरी कुमार जैन
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास